प्रेसनोट- मॉनीटरिंग सेल
जनपद शाहजहाँपुर

सरहानीय कार्य दिनांक 06.12.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास धारा 376एबी/354 भादवि व 5(ड)(ढ)/6 पाक्सो एक्ट के 01 आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल 2 लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई ।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना जलालाबाद पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एएसजे 08 (पॉक्सो न्यायालय) में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त आरोपी नन्हेलाल पुत्र रामेश्वर दयाल नि0 कोलामझरा रैपुरा, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड व बलात्कार करने के आरोप में शेष प्राकृत जीवन के लिये आजीवन कारावास एवं कुल 02 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

नन्हेलाल पुत्र रामेश्वर दयाल नि0 कोलामझरा रैपुरा, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 151/2022 धारा 376एबी/354 भादवि व 5(ड)(ढ)/6 पॉक्सो एक्ट थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी नन्हेलाल पुत्र रामेश्वर दयाल नि0 कोलामझरा रैपुरा, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड व बलात्कार करने के आरोप में शेष प्राकृत जीवन के लिये आजीवन कारावास एवं कुल 02 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।